न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—415/2016/223 (2016/00415)

1. चेनसिंह पुत्र पन्नासिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम थुनिथाक, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती माली बेवा पन्नासिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम थुनिथाक, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
2. माया देवी पुत्री पन्नासिंह पत्नि पूनमसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम बाडिया नगा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
3. नरेन्द्रसिंह पुत्र नोलसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम थुनिथाक, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर ।
5. उप पंजीयक, ब्यावर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर, दिनांक 19.5.2016 अंतर्गत वाद संख्या 103/2007.

उपस्थितः—

1. श्री घनश्यामसिंह लखावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 अनपुस्थित ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4 व 5.

निर्णय

दिनांकः— 27.10.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.5.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद अधिकारों की घोषणा बाबत् इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम थुनिथाक में अपीलांट के पिता पन्नासिंह की खातेदारी में अंकित भूमि में उनका हक, हिस्सा निहित था किन्तु विरासत का अंकन प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के नाम ही अंकित कर दिया गया । इस कारण वादी के पिता पन्नासिंह की ग्राम थुनिथाक में स्थित वादपत्र में वर्णित आराजियात में वादी को पन्नासिंह के वारिस के तौर पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ खातेदार अंकित करने की डिक्री पारित की जावे । उक्त वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश किया गया । अधी0न्याया0 ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादी/अपीलांट का वाद निर्णय व डिक्री व डिक्री दिनांक 19.5.2016 को खारिज कर दिया।

अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 के समक्ष वाद प्रस्तुत किये जाने पर अधी0न्याया0 ने वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये तथा वाद कायमी तनकियात हेतु लंबित चल रहा था तथा दिनांक 8.6.2016 की पेशी नियत थी परन्तु इससे पूर्व ही पत्रावली को दिनांक 10.5.2016 को पेशी में लेकर प्रकरण दिनांक 19.5.2016 को कैम्प काबरा में नियत कर दिया तथा उक्त दिवस को वादी एवं वादी के अभिभाषक की उपस्थिति में आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रेार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से लेकर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 की उक्त समस्त कार्यवाही विधिक प्रक्रिया की अवहेलना कर जल्दबाजी में निर्णय पारित किया गया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 ने राजस्व अपील प्राधिकारी के जिस आदेश का अंकन अपने आदेश में किया है वह धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत आवेदन के क्रम में की गई अपील में अतिश्योक्तिपूर्ण अंकन करते हुए राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा किया गया उक्त आदेश अंतिम नहीं है तथा धारा 212 के प्रकरण में किये गये किसी निष्कर्ष को वाद के निर्णय का आधार नहीं बनाया जा सकता है । आदेश 7 नियम 11 जा0 के तहत न्यायालय को विचार करते समय वाद के अभिवचनों के आधार पर ही प्रकरण का परीक्षण करना होता है तथा प्रतिवादी पक्षकार द्वारा किये गये आक्षेप बाबत् न्यायालय को वाद बिन्दु कायम कर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर निर्णय पारित करना होता है परन्तु अधी0न्याया0 ने वर्तमान प्रकरण में आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रावधानों से आगे जाकर मनमाने तरीके से कार्यवाही कर जो निर्णय व डिक्री पारित की है वह विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट के पक्ष में जो गोदनामा निष्पादित किया गया है वह पंजीकृत गोदनामा है तथा उक्त अधिनियम की धारा 10 (4) के जो प्रावधान के अनुसार पक्षकारों के जाति समय परिवेश में जहां 15 वर्ष की आयु के उपरांत भी गोद लिये जाने बाबत् कोई परम्परा हो तो इस अनुसार गोद लिये जाने पर गोदनामा पंजीकृत किया जाता है तथा यह बिन्दु ऐसा बिन्दु है जो कि साक्ष्य द्वारा ही तय हो सकता है । इस प्रकार अधी0न्याया0 ने राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा धारा 212 के प्रकरण में दिये गये निष्कर्ष के आधार पर वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है जबकि धारा 212 में पारित निर्णय वाद की कार्यवाही में बाध्यकारी नहीं है। वादपत्र में अंकित प्रतिवादी संख्या 3 से 18 तथा 20 से 112 व अन्य खाते में सहखातेदार अंकित होने से धारा 188 के परिपेक्ष्य में उनको पक्षकार संयोजित किया था परन्तु बाबत् विचारण न्यायालय के आदेश से उनकी तामील मुख्य वाद बिन्दु को तय करने हेतु आवश्यक नहीं होने से बंद की गई तथा वाद में चाहा गया अनुतोष भी उनके विरूद्ध नही है तथा वर्तमान अपील आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के निर्णय के विरूद्ध है जिसमें उक्त प्रतिवादीगण आवश्यक पक्षकार नहीं है तथा उनके अधिकार प्रभावित नही होते है इस कारण इस अपील में उनको पक्षकार अंकित नहीं किया है । अधी0न्याया0 द्वारा विधिक प्रक्रिया को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर वाद खारिज किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 19.5.2016 को निरस्त किया जावे तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित कर वाद में

विधि अनुसार साक्ष्य लेने के उपरांत गुणावगुण पर निर्णित किये जाने के निर्देश प्रदान किये जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी को निर्णय व डिक्री की जानकारी उक्त निर्णय की दिनांक को इस कारण नहीं हो सकी क्योंकि प्रकरण में नियत दिनांक 8.6.2016 थी तथा जब प्रार्थी नियत दिनांक 8.6.2016 को अपने अभिभाषक से मिला तो प्रार्थी के अभिभाषक ने न्यायालय में जाकर प्रकरण में आगामी तारीख दिये जाने हेतु निवेदन किया तो यह जानकारी हुई कि प्रकरण दिनांक 19.5.2016 को ही निर्णित कर दिया गया है । तत्पश्चात् अभिभाषक महोदय ने उसी दिन प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर दिया जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 7.9.2016 को प्राप्त हुई । तब प्रार्थी ने अभिभाषक ने प्रार्थी को सूचना देकर बुलाया तथा अभिभाषक से समस्त दस्तावेजात प्राप्त कर अजमेर आकर दिनांक 17.9. 2016 को अभिभाषक से संपर्क कर अपील तैयार करवाकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । अधी0 न्याया0 के समक्ष प्रकरण दिनांक 14.3.2016 को नियत था किन्तु स्थानीय बार ऐसोसियेशन द्वारा कार्य स्थगित रखे जाने से प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 8.6.2016 नियत की गई किन्तु नियत तिथि से पूर्व प्रकरण को दिनांक 10.5.2016 को न्यायालय में रखकर प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 19.5.2016 कैम्प काबरा हेतु नियत कर दी गई । प्रकरण को नियत दिनांक से पूर्व रखने तथा प्रकरण को कैम्प काबरा में रखने के संबंध में अपीलांट/वादी को किसी प्रकार की सूचना दिये जाने के संबंध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। इस कारण अपीलांट का यह कथन उचित प्रतीत होता है कि निर्णय दिनांक को अपीलांट अधी0न्याया0 में उपस्थित नहीं थे जिससे उन्हें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी थी, किया गया कथन उचित प्रतीत होता है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

7. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वाद प्रस्तुत किये जाने पर अधी0न्याया0 ने वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये तथा वाद कायमी तनकियात हेतु लंबित चल रहा था तथा दिनांक 8.6.2016 की पेशी नियत थी परन्तु इससे पूर्व ही पत्रावली को दिनांक 10.5.2016 को पेशी में लेकर प्रकरण दिनांक 19.5.2016 को कैम्प काबरा में नियत कर दिया तथा उक्त दिवस को वादी एवं वादी के अभिभाषक की उपस्थिति में आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से लेकर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वाद खारिज कर दिया । यह भी कथन रहा है कि अधी0न्याया0 ने वाद में गोद के बिन्दु पर बिना ट्रॉयल किये वाद को तकनीकी आधार पर खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 को आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में तनकी कायम कर बाद साक्ष्य वाद को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था ।

8. इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 8.12.2014 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वाद कायमी तनकियात में चल रहा था । तत्पश्चात् दिनांक 14.3.2016 तक पत्रावली में भिन्न–भिन्न कारणों से पत्रावली में तारीख तब्दील की जाती रही । आदेशिका दिनांक 14.3.2016 के अनुसार स्थानीय बार ऐसोसियेशन द्वारा कार्य स्थगित रखे जाने से प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 8.6. 2016 नियत की गई किन्तु नियत दिनांक 8.6.2016 से पूर्व पत्रावली दिनांक 10.5.2016 को न्यायालय में रखकर प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 19.5.2016 वास्ते कैम्प कोर्ट काबरा हेतु निर्धारित की गई है। तत्पश्चात् दिनांक 19.5.2016 को प्रकरण कैम्प कोर्ट काबरा में पेश होने पर अधी0न्याया0 ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 इस आधार पर स्वीकार पर स्वीकार किया है कि हिन्दू एडोप्शन एक्ट की धारा 10 (4) के प्रावधानों के अनुसार 15 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति गोद नहीं लिया जा सकता है तथा गोदनामा भी दत्तक अधिनियम की शर्तो के अनुरूप नहीं है । जबकि अपील में अपीलांट का इस संबंध में कथन रहा है कि अपीलांट के पक्ष में जो गोदनामा निष्पादित किया गया है वह पंजीकृत है तथा अधिनियम की धारा 10 (4) के जो प्रावधान है उसके अनुसार पक्षकारों के जाति समय परिवेश में जहां 15 वर्ष की आयु के उपरांत भी गोद लिये जाने बाबत् कोई परम्परा हो तो इस अनुसार गोद लिये जाने पर गोदनामा पंजीकृत किया जाता है तथा यह बिन्दु साक्ष्य द्वारा ही तय हो सकता है । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के प्रावधानों के अनुरूप वादी चैनसिंह को गोद लेने की कोई रस्म एवं कोई उत्सव आयोजन नहीं हुआ है ओर न प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी चैनसिंह की बात की सहमति से मालीदेवी की गोदी में बैठाया ना मालीदेवी ने चैनसिंह को दत्तक पुत्र घोषित किया है न ही वादी चैनसिंह को गोद पुत्र के रूप में अंगीकार किया है न गांव वालों और पंच पंचायती के लोग एकत्रित हुए । यह सभी तथ्य मिश्रित प्रश्न है जो कि साक्ष्य उपरांत ही तय किये जा सकते थे परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा बिना साक्ष्य लिये ही वाद को सरसरी तौर पर पर खारिज करने मे विधिक त्रुटि कारित की है ।

9. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रकरण में पूर्व निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 8.6.2016 नियत थी इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वादी/अपीलांट को सूचित किये बिना प्रकरण को दिनांक 10.5.2016 को रखकर प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 19.5.2016 कैम्प कोर्ट काबरा हेतु नियत किया जाना पत्रावली की आदेशिकाओं से परिलक्षित होता है । अधी0न्याया0 द्वारा प्रकरण में पूर्व निर्धारित तारीख पेशी से पूर्व प्रकरण को न्यायालय में रखे जाने के संबंध में अधी0न्याया0 द्वारा वादी/अपीलांट को किसी प्रकार की सूचना दिये जाने के संबंध में साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है न ही वादी/अपीलांट अथवा उनके अधिवक्ता के हस्ताक्षर आदेशिकाओं पर अंकित है । अधी0न्याया0 की आदेशिका दिनांक 19.5.2016 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त दिनांक को अधी0न्याया0 ने उक्त दिनांक को वादी/अपीलांट की अनुपस्थिति में प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पर अपीलांट/वादी को सुने बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 19.5.2015 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वाद खारिज किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रकरण में पक्षकार को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को निर्णित करना चाहिये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में वादी/अपीलांट के विरूद्ध पारित एकतरफा निर्णय विधिक प्रक्रिया के

विपरीत होने से विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.5.2016 निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.5.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रविवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद में आवश्यक विवादक कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 27.10.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर